रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222764
CG-DL-E-27102020-222764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3397] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942
No. 3397] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3847(अ)--केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि :--

(क) 31 दिसंबर, 2020 वह तारीख होगी, जिसको या जिससे पूर्व, कर बकाया की बाबत घोषणा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार, घोषणाकर्ता द्वारा, पदाभिहित प्राधिकारी के पास फाइल की जाएगी;

(ख) 31 मार्च, 2021 वह तारीख होगी, जिसको या जिससे पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय रकम, उक्त अधिनियम की धारा 3 की सारणी के तीसरे स्तंभ के अनुसार संदत्त की जाएगी; और

(ग) 1 अप्रैल, 2021 वह तारीख होगी, जिसको या जिसके पश्चात्, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय रकम, उक्त अधिनियम की धारा 3 की सारणी के चौथे स्तंभ के अनुसार संदत्त की जाएगी ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 85 /2020/फा.सं.आई.टी.(ए)/1/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव